@shahjahanpurpol

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य 29.08.2023

थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयावी,

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में करीब दो करोड़ बीस हजार रूपये कीमत की 02 किलो 20 ग्राम अफीम फाईन क्वालिटी की व 01 अदद मोबाइल फोन सहित 01 मादक प्रदार्थ तस्कर गिरफ्तार ।

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्री संजीव कुमार वाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री प्रयांक जैन, क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन तथा श्री धनंजय सिंह, प्रभारी निरीक्षक तिलहर के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान रोकथाम जुर्म जरायम ,अवैध शराब, चोरी , लूट , डकैती, गौ तस्कर व तलाश वांछित अपराधी व वारन्टी तथा बरामदगी अवैध शस्त्र व मादक पदार्थ के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक द्वारा गठित पुलिस टीम को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि बंथरा डिपो वाली रास्ते पर पुल के नीचे एक व्यक्ति कोई संदिग्ध वस्तु लेकर खडा है। जो किसी वाहन के इन्तजार मे कही जाने की फिराक मे खडा है। इस सूचना पर जब पुलिस टीम मुखबिर द्वारा बताये स्थान की तरफ जा रही थी तो रास्ते मे वरूण अर्जुन मेडिकल कालेज के पास जनपद शाहजहांपुर की SOG टीम के उ0नि0 श्री राजाराम पाल सिंह, HC 241 राम सजीवन, HC 239 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, HC 467 खालिद हुसैन, का0 1805 प्रभात चौधरी, का0 1997 सचिन यादव, का0 शिवम, का0 मुकुल, मय सरकारी गाडी UP 32 BG 7473 चालक HC 245 कपिल ठाकुर मिले। जिनके भी यही सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस टीम व SOG टीम की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त देवपाल सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोकी राम निवासी ग्राम गौटिया किशनपुर थाना आवंला जिला बरेली हाल पता किराये पर राम दीवान वर्मा के मकान मो0 शांति विहार थाना सुभाषनगर जिला बरेली उम्र करीब 50 वर्ष को मय 02 किलो 20 ग्राम अफीम व एक मोबाइल वीवो कम्पनी रंग नीला (IMEI 867940056495772, 867940056495764) के साथ आज दिनांक 29.08.2023 को समय करीब 08.30 बजे बन्थरा पुल से बन्थरा डिपो की तरफ करीब 20 कदम की दूरी पर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त देवपाल सिंह उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार थाना हाजा पर मु0अ0सं0 648/2023 धारा 8/18 NDPS ACT का पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

➢ गिरफ्तार अभियुक्त -

1. देवपाल सिंह पुत्र स्व0 त्रिलोकी राम निवासी ग्राम गौटिया किशनपुर थाना आवंला जिला बरेली हाल पता किराये पर राम दीवान वर्मा के मकान मो0 शांति विहार थाना सुभाषनगर जिला बरेली उम्र करीब 50 वर्ष।

➢ पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 648/2023 धारा 8/18 NDPS ACT थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर

➢ बरामदगी विवरणः-

1. 02 किलो 20 ग्राम अफीम
2. एक मोबाइल वीवो कम्पनी रंग नीला (IMEI 867940056495772, 867940056495764)

➢ पुछताछ का विवरण-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त देवपाल सिंह पुत्र त्रिलोकी राम ग्राम गौटिया किशनपुर थाना आँवला जिला बरेली उम्र 50 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब मैं यह काम वर्ष 2021 से कर रहा हूँ। मैनें दो दिन पहले यह अफीम (2 किलो 20 ग्राम) झारखण्ड के रहने वाले प्रदीप यादव निवासी टौहरी कस्बा व थाना टौहरी जनपद लातेहार से खरीदी थी। उससे अफीम खरीदकर मैं उसे महंगे दामो पर बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है। आज मैं खरीदी हुई अफीम को बेचने के लिए शाहजहाँपुर आया था। परन्तु आप लोगो ने पकड लिया। मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यह काम करता हूँ। साहब मुझसे गलती हो गयी। मैं गरीब आदमी हूँ। मुझे माफ कर दीजिए।

➢ अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री राजाराम पाल सिंह SOG टीम जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 घनश्याम बहादुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
3. HC 241 राम सजीवन SOG टीम जनपद शाहजहाँपुर
4. HC 239 ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह SOG टीम जनपद शाहजहाँपुर
5. HC 467 खालिद हुसैन SOG टीम जनपद शाहजहाँपुर
6. चालक HC 245 कपिल ठाकुर SOG टीम जनपद शाहजहाँपुर
7. का0 1805 प्रभात चौधरी SOG टीम जनपद शाहजहाँपुर
8. का0 1997 सचिन यादव SOG टीम जनपद शाहजहाँपुर
9. का0 2656 मुकुल SOG टीम जनपद शाहजहाँपुर
10. का0 1982 शिवम SOG टीम जनपद शाहजहाँपुर
11. का0 1046 ओमवीर सिंह थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर
12. का0 2739 गौरव कुमार थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।